राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

<u>एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या : 508/2018</u>

30.1.2018

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी</u>

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पूनमचन्द शर्मा।

धारा–5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये कथनों की रोशनी में धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रत्यर्थीगण के ऐतराज को सुरक्षित रखते हुए स्वीकार किया जाता है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करें, जो पेश होने पर चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावें।

अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख तलब किया जावे।

अभिलेख तलबी के क्रम में विद्वान अधिकरण को लिखा जावे कि यदि उनके समक्ष क्षतिपूर्ति राशि को प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन लम्बित हो तो उक्त आवेदन का शीघ्र निस्तारण कर अविलम्ब अभिलेख इस न्यायालय को भेजा जावें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/21